डीजी-परिपत्र संख्या-40 /2018

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः जुलाई 21, 201

विषयः- गिरोहों का पंजीकरण एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में सक्रिय दस्यु गिरोहों को सूचीबद्ध कराने, उनसे सम्बन्धित अभिलेखों को अद्यावधिक रखने एवं उनके विरूद्ध समय-समय पर प्रभावी कार्यवाही कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में दस्यु उन्मूलन इकाई का गठन किया गया था, परन्तु वर्तमान में सूचीबद्ध दस्यु गिरोहों की गतिविधियाँ लगभग निष्क्रिय हो चुकी हैं और इस इकाई को समाप्त किये जाने की कार्यवाही अंतिम चरण में है।

सक्रिय गिरोहों को सूचीबद्ध कराने, उनसे सम्बन्धित अभिलेखों को अद्यावधिक रखने एवं उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु समय-समय पर मुख्यालय स्तर से निर्देश-निर्गत किये गये हैं, जो पार्श्वांकित पर अंकित हैं।

1.डीओ नं0-सीओपी/एडीडीएल-(एसओ-1)जी-4/70 दिनांक 27.09.79
2.परिपत्र संख्याः डीजी परिपत्र संख्या-07/1995 दिनांक 06.02.1995

आप सहमत होंगे कि प्रदेश के जनपदों में अन्य तरह के बहुत से गैंग दूसरे प्रकार के अपराध लूट, डकैती, भाड़े की हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, जाली नोटों की तस्करी, चेन स्नैचिंग, वाहन चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब तस्करी, साइबर अपराध, अदैध शस्त्र निर्माण, मूर्ति चोरी व वन्य जीव तस्करी आदि करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में गिरोहों का अभिलेखीकरण आदि की कार्यवाही पूर्व से प्रचलित है। प्रायः देखा गया है कि जनपदों में गिरोहों के पंजीकरण की कार्यवाही का कार्य नगण्य सा हो गया है। ऐसे अपराधिक गिरोहों का पंजीकरण न होने से न तो ऐसे अपराधियों की सतत निगरानी हो पाती है और न ही इनके विरूद्ध समुचित कार्यवाही हो पाती है जिससे आम जन-मानस में भय व्याप्त होता है। अतएव यह आवश्यक है कि इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त अपराधियों की सक्रियता के आधार पर गिरोहों का पंजीकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है।

दस्यु उन्मूलन इकाई जो कानपुर में स्थित थी, का कार्य लगभग नगण्य हो जाने के कारण उसे समाप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। इस इकाई में नियुक्त कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा चुका है। निर्णय लिया गया है कि गिरोहों के पंजीकरण एवं उनके अभिलेखीकरण की कार्यवाही का कार्य पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा किया जायेगा।

ऐसे सक्रिय गिरोहों का अपराधों के अनुसार इन्हें जनपदीय, अन्तर जनपदीय, अन्तर परिक्षेत्रीय एवं अन्तर राज्जीय श्रेणी में विभक्त कर सूचीबद्ध किया जाये। सूचीबद्ध किये जाने की कार्यवाही निम्नानुसार होगीः-

- **डी गैंग (डिस्ट्रिक्ट गैंग)** -

  1. ऐसा अपराधिक गिरोह जिनके सदस्य एक ही जनपद में अपराध कारित करते हैं।
  2. ऐसे गिरोहो द्वारा कारित अपराधों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कराकर सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें "डी" श्रेणी में रखकर सूचीबद्ध किया जाये और इस गैंग को डिस्ट्रिक्ट एवं क्रम संख्या (जैसे- डी-01 व डी-02 इसी क्रम में) अन्य को क्रमानुसार अंकित करेंगें।
  3. ऐसे अपराधिक गिरोहों के अभिलेखीकरण करते हुए उनका समस्त रख-रखाव जनपद में स्थापित डी0सी0आर0बी0 शाखा द्वारा किया जायेगा।

- **आई0डी0 गैंग (इन्टर डिस्ट्रिक्ट गैंग)** -

  1. ऐसा गिरोह जिनके सदस्य एक ही परिक्षेत्र के विभिन्न जनपदों के निवासी हों अथवा एक ही परिक्षेत्र सीमा के अन्तर्गत एक से अधिक जनपदों में अपराध कारित करते हैं।

2. ऐसे गैंग के गैंग लीडर एवं समूह द्वारा जिस जनपद में अधिक अपराध किया जाता है। उस जनपद के **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक** की आख्या के आधार पर आई0डी0 गैंग का पंजीकरण **परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक** द्वारा किया जायेगा, इस गैंग को इन्टर डिस्ट्रिक्ट एवं क्रम संख्या (जैसे- आई0डी-01 व आई0डी-02 इसी क्रम में) अन्य को क्रमानुसार अंकित करेंगें।

3. ऐसे गैंगों के अभिलेखों का रख-रखाव पंजीकरण कराने वाले जनपद की डी0सी0आर0बी0 शाखा द्वारा किया जायेगा तथा पंजीकरण की एक प्रति परिक्षेत्रीय मुख्यालय, जहॉ पर गैंग सूचीबद्ध हुआ है, पर रखा जायेगा।

- **आई0आर0 गैंग (इन्टर रेन्ज गैंग)** -

1. ऐसा गिरोह जिनके सदस्य एक से अधिक परिक्षेत्र के जनपदों के निवासी हो अथवा एक से अधिक परिक्षेत्र के जनपदों में अपराध कारित करते हो।

2. ऐसे गैंग के गैंग लीडर एवं समूह द्वारा जिस जनपद में अधिक अपराध किया जाता है तो उस जनपद के **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक** की आख्या के आधार पर आई0आर0 गैंग का पंजीकरण **परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक** की संस्तुति पर **जोनल अपर पुलिस महानिदेशक** द्वारा सूचीबद्ध किया जायेगा। इस गैंग को इन्टर रेन्ज एवं क्रम संख्या (जैसे- आई0आर-01 व आई0आर-02 इसी क्रम में) अन्य को क्रमानुसार अंकित करेंगें।

3. ऐसे गैंगों के अभिलेखों का रखरखाव पंजीकरण कराने वाले जनपद के डी0सी0आर0बी0 शाखा द्वारा किया जायेगा एवं पंजीकरण की एक-एक प्रति परिक्षेत्रीय व जोनल कार्यालय में रखा जायेगा।

- **आई0एस0 गैंग (इन्टर स्टेट गैंग)** -

1. ऐसा अपराधिक गिरोह जिसके सदस्य एक से अधिक राज्यों के निवासी हो अथवा एक से अधिक राज्यों में संगठित रूप से अपराध कारित करते हो।

2. ऐसे गैंग के गैंग लीडर एवं समूह द्वारा प्रदेश के जिस जनपद में अधिक अपराध किया जाता है। उस जनपद के **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक** की आख्या के आधार पर आई0एस0 गैंग का पंजीकरण **परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक** एवं **जोनल अपर पुलिस महानिदेशक** की संस्तुति पर **पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो** द्वारा किया जायेगा।

3. इस गैंग को इन्टर स्टेट एवं क्रम संख्या (जैसे- आई0एस0-01 व आई0एस0-02 इसी क्रम में) अन्य को क्रमानुसार अंकित करेंगें।

4. ऐसे गैंगों के अभिलेखों का रखरखाव पंजीकरण कराने वाले जनपद की डी0सी0आर0बी0 शाखा द्वारा किया जायेगा तथा गैंग पंजीकरण के उपरान्त एक प्रति राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो में एवं एक-एक प्रति सम्बन्धित जोनल व परिक्षेत्रीय मुख्यालय पर रखा जायेगा।

अपर पुलिस महानिदेशक, जोन्स अपने जोन्स के जनपदों में आई0एस0 गैंग पंजीकरण से सम्बन्धित जो भी प्रकरण अभी तक लम्बित हैं, जिनका पंजीकरण नही किया गया है, उन सक्रिय गिरोहों का पंजीकरण हेतु संलग्न प्रारूप में सूचना/आख्या तैयार कराकर अपनी संस्तुति सहित समस्त सूचनायें पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो से सूचीबद्ध कराकर ऐसे सक्रिय गिरोहों की सतत निगरानी हेतु अपने जोन के जनपदों को निर्देशित कर दें।

*पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो अपर पुलिस महानिदेशक, जोन्स से प्राप्त ऐसे सक्रिय गिरोहों के अपराधियों का जिन्हें आई0एस0 गैंग में सूचीबद्ध किया जाना है, उन्हें सूचीबद्ध करते हुए सम्बन्धित **अपर पुलिस महानिदेशक, जोन्स** को सूचीबद्धता की संख्या से अवगत करायेंगे तथा डी गैंग, आई0डी0 गैंग, आई0आर0 गैंग व आई0एस0 गैंग की अद्यतन सूची का अभिलेखीकरण अपने निकट पर्यवेक्षण में करायेंगे ताकि अल्प अवधि में सूचना मांगे जाने की स्थिति में गैंगों से सम्बन्धित अद्यतन सूचना इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जा सके।*

सूचीबद्ध किये गये गिरोहों से सम्बन्धित समस्त सूचनायें प्रत्येक स्तर पर संलग्न किये जा रहे निर्धारित प्रारूपों के समस्त बिन्दुओं में गैंग नोट बनाकर रखा जायेगा। इन सूचनाओं को निरन्तर निरीक्षण करते हुए अद्यावधिक की जायेगी। किसी भी स्तर पर इस कार्यवाही में शिथिलता नही बरती जायेगी। ऐसे गिरोह जो विगत 3-4 वर्षों में कोई अपराध कारित नही किये है, उनकी **परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल अपर पुलिस महानिदेशक** द्वारा समीक्षा कर यह आश्वस्त कर लिया जाये कि यह गिरोह वास्तव में निष्क्रिय हो गया है तो ऐसे गिरोहों का पंजीकरण सूची से विरक्त कराये जाने की कार्यवाही की जाये।

पंजीकृत ऐसे गिरोहों के मुखिया जिनकी मृत्यु हो गयी अथवा मारे गये हैं के स्थान पर गिरोह का अत्यन्त सक्रिय सदस्य को मुखिया के रूप में पंजीकृत सूची में नामित करते हुए उस पर सतत निगरानी रखी जायेगी और उसकी सूचना सभी सम्बन्धित को भी दी जायेगी।

गिरोह पंजीकरण के सम्बन्ध में निम्नांकित कार्यवाही की जायेगी:-

- **प्रत्येक जोन/परिक्षेत्र/जनपद स्तर पर नये सिरे से समीक्षा कर ली जाये कि क्या पूर्व में पंजीकृत सभी गिरोहों का सही पंजीकरण हुआ है व सही गैंग नम्बर पड़ा है? ताकि भविष्य में कार्यवाही करते समय कोई कठिनाई न हो।**
- **दस्यु उन्मूलन इकाई कानपुर में गिरोह पंजीकरण हेतु जो भी प्रकरण लम्बित हैं, उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन द्वारा पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो को अविलम्ब उपलब्ध कराया जायेगा।**
- **प्रत्येक तीन माह में सर्वसम्बन्धित अपने जनपद/परिक्षेत्र/जोन में पंजीकृत गैंगों की अद्यतन स्थिति की आख्या पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो को उपलब्ध करायेंगे।**
- **पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो प्रदेश में पंजीकृत सभी प्रकार गिरोहों की अद्यतन स्थिति की सूचना को 30 दिवस के अन्दर अभिलेखीकरण कर इस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।**

आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि गिरोहों के पंजीकरण हेतु संलग्न किये जा रहे प्रारूप में बिन्दुवार तैयार कराकर सम्बन्धित अधिकारियों को संस्तुति सहित प्रेषित कर गिरोहों का पंजीकरण करायेंगे एवं पंजीकृत कराये गये गिरोहों के मुखिया एवं उनके सदस्यों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए निगरानी कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

21.7.18

(ओ0पी0 सिंह)

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
4. पुलिस अधीक्षक,
   राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, लखनऊ।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0प्र0।

प्रारूप गिरोहों के पंजीकरण हेतु

1. गैंग के मुखिया का नाम व पता-
2. गैंग लीडर का संक्षिप्त इतिहास (विवरण)-
3. गैंग के सदस्यों का नाम व पता मय जाति व धर्म-
4. गैंग के सदस्यों के परिवार एवं रिश्तेदारों का विवरण-
5. गैंग के सदस्यों का हुलिया/फोटो-
6. गैंग के फायर पावर का विवरण-
7. गैंग की सदस्यों की धारा 82/83 व 299 द0प्र0सं0 की कार्यवाही-
8. गैंग के अपराध करने का तरीका-
9. गैंग के अपराध करने का क्षेत्र-
10. घोषित पुरस्कारों का विवरण-
11. सरकारी कर्मचारी जो गैंग के सदस्यों को पहचानते हैं, का विवरण-
12. जनता के व्यक्ति, जो गैंग के सदस्यों को पहचानते हैं, का विवरण-
13. गैंग के सदस्यों के छिपने का स्थान-
14. गैंग द्वारा लूटे गये शस्त्रों का विवरण-
15. शराबखानों एवं वैश्याओं के नाम, जहाँ गैंग के सदस्यों का आना-जाना हो-
16. आर्म्स एम्युनेशन सप्लाई करने वालों का नाम व पता-
17. अपराधों में लूटी गयी सम्पत्ति का विवरण-
18. पनाह देने वालों के नाम व पते-
19. अन्य गैंगो के साथ अपराध करने वालों की सूची-
20. गैंग द्वारा किये गये अपराधों की सूची-
21. मुठभेडों का विवरण-
22. गैंग के सदस्यों को सुविधा देने वाले डाक्टरों के नाम व पते-
23. अतिरिक्त पुलिसबल यदि नियुक्त हों-
24. गैंग के आवागमन का मार्ग-
25. थाने की सीमा का नक्शा-
26. आश्रयदाताओं की सूची-
27. जमानत लेने वालों के नाम व पते-
28. गैंग के प्रत्येक सदस्य का अपराधिक इतिहास-
29. पुरानी सजायाबी एवं फिंगर प्रिंट का विवरण-
30. गैंग चार्ट-